उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार– 249404

Website-www.ukpsc.gov.in

दूरभाष नं0–01334–244143

विज्ञापन संख्या :: A-1/E-3/PA-HC/2019-20

वैयक्तिक सहायक (अधिष्ठान, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय) परीक्षा– 2019

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	03 दिसम्बर, 2019
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	23 दिसम्बर, 2019 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क – Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	23 दिसम्बर 2019 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश

(1) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(2) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 23 दिसम्बर, 2019 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो।

विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।

(3) फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(4) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगें।

(6) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना हाईस्कूल प्रमाण–पत्र, स्नातक उपाधि व अन्तिम वर्ष की अंकतालिका, उर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण तथा अधिवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

(8) मुख्य परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों को यथासमय ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, विभागीय अनापत्ति, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(9) एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(10) अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए **परिशिष्ट–1**, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–2** का अवलोकन करें।

वैयक्तिक सहायक (अधिष्ठान, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय) परीक्षा–2019 हेतु पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर **23 दिसम्बर, 2019** तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। प्रश्नगत चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगाः–

Screening Test will be conducted first and candidates who will qualify screening test, for them Typing Test will be conducted and the candidates, who will qualify in the Typing test, will only be allowed to appear in the Shorthand test. Candidates qualified in the Shorthand test will be allowed to appear in the written examination. Final merit list shall be prepared on the basis of marks obtained in written examination (80 Marks) and Shorthand test (120 Marks).Total marks-200.

2. स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन **परिशिष्ट–2** के अनुसार देहरादून, हल्द्वानी व हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन **माह फरवरी, 2020** में किया जाना प्रस्तावित है। टाइपिंग टेस्ट, शार्टहैण्ड टेस्ट एवं लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि की सूचना यथासमय पृथक से चयन के आगामी चरण में आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. <u>रिक्तियों का विवरण</u> : कुल पद–12

पद का नाम	पद की श्रेणी	उर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण
				महिला
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
वैयक्तिक सहायक	श्रेणी–3	अनारक्षित	03	01
		अनुसूचित जाति	04	01
		अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	01
		अनु0 जनजाति	–	–
		योग	12	04

<u>नोट</u>– 01. रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

02. वैयक्तिक सहायक का पद मात्र लोकोमोटर निःशक्तता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त है। अतः प्रश्नगत पद हेतु केवल लोकोमोटर निःशक्तता से ग्रस्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र है।

3. <u>पद का स्वरूप :–</u> अराजपत्रित व अस्थायी।

4. <u>वेतनमान एवं पेंशन :–</u> लेवल–08 (स्क्रीनिंग मूल वेतन रू0 47,600/–) अंशदायी पेंशन योजना।

5. <u>अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं:–</u> Rule 9 of High Court Officers and Staff (Conditions of Service & Conduct) Rules 1976, provides as under:-

(a) Must possess a Bachelor's degree of a University established by Law in India or a qualification recognized as equivalent thereto.

(b) Must, possess good knowledge of English Shorthand and typewriting with minimum speed of 40 words per minute in English and 100 words in English Shorthand dictation per minute. In case, final marks obtained by 02 or more candidates are equal, preference will be given to those having good knowledge of Hindi shorthand and typewriting with minimum speed of 9000 key-depression in Hindi type-writing per hour and 80 words in Hindi Shorthand dictation per minute and knowledge of Computer operation.

6. <u>आयु :–</u> आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2019 है। इस तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1984 या इससे पूर्व तथा 01 जुलाई, 1998 के बाद का नहीं होना चाहिए।

7. <u>अधिकतम आयु सीमा में छूटः–</u> विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु संगत सेवानियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

नोट– Rule 9 of High Court Officers and Staff (Conditions of Service & Conduct) Rules 1976, provides as under:-

Provided further that in case of members of the High Court staff, a relaxation by five years may, in suitable cases, be made by five years may, in suitable cases, be made by the Chief Justice.

Provided also that no candidate shall, by virtue of relaxation of age under this rule, have more than three opportunities to appear at the competitive examination or selection.

8. आरक्षण :–(क) उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य श्रेणी के अंतर्गत) ही आवेदन कर सकेंगे।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस–जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे, उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(ङ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या– 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16.03.2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। शासनादेश संख्या– 276/XXX(2)/2019-53(01)/2001 दिनांक 11.09.2019 के प्रस्तर–7 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT), dated 02.05.1985, it wae an ex-servicemen has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-servicemen for his re-employment, his ex-servicemen status for the purpose of re-employment in Government would ceases का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।

09. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

10. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें, जिसे यथासमय आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. राष्ट्रीयता : No person shall be appointed to the establishment of High Court of Uttarakhand, unless he/she be a citizen of India.

12. चरित्र :– The character of a person for direct recruitment to the service must be such as to render him suitable in all respect for appointment to the service. It will be the duty of the appointing authority to satisfy himself on this point.

Note- Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or a Government Corporation owned or controlled by the Central Government or state Government will be deemed to be ineligible for the appointment under these rules.

13. वैवाहिक प्रास्थिति :– A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a person already having a wife living shall not be eligible for recruitment to the establishment:

Provided that the Chief Justice may, if satisfied that there are any special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

14. शारीरिक स्वस्थता :– (1) No person shall be recruited to the establishment unless he/she be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his official duties. Before a candidate recruited directly is finally approved for appointment to the establishment he shall be required to produce a medical certificate of physical fitness.

(2) If the post of librarian is filled by direct recruitment the candidate shall before he is finally approved for appointment,be required to pass the examination by the Medical Board as may be prescribed by the appointing authority.

15. आवेदन कैसे करें :– इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में Apply Now लिंक पर क्लिक करें। Apply Now page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् खुले Registration फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर सही जानकारी भरकर Submit पर क्लिक करें। उसके पश्चात Upload Images and Documents पर क्लिक कर Photo, Signature एवं Documents को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo, Signature एवं Documents को अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Click here to Make Payment पर क्लिक करें। I Agree पर Tick करने के पश्चात Pay Now पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1 आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं password के माध्यम से login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information , Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर, Photo, Signature एवं Documents को पुनः अपलोड़ कर सकते हैं। **ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि , ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी** ukpschelpline@gmail.com **पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2 **आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात्** आवेदन पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

3 परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। **(उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 23.60 रूपये है।)**

16. **शुल्क** :– प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Aplication Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
06.	उत्तराखण्ड शारीरिक विकलांग (लोकोमोटर)	कोई शुल्क नहीं	रू0 26.55/–	रू0 26.55/–

नोट :– (1) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा–** अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) शासनादेश संख्या–1673/XXX (2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के क्रम में वैयक्तिक सहायक के पद हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी विकलांगजन अभ्यर्थियों (लोकोमोटर) हेतु आवेदन–शुल्क से छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रू0 26.55 देय होगी।

17. **मुख्य परीक्षा/शार्टहैण्ड/टंकण परीक्षा के विषय में कुछ सूचनाएं :–**

(1) मुख्य परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों को यथासमय ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(2) किसी भी स्तर पर आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे मुख्य परीक्षा/शार्टहैण्ड/टंकण परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।

(3) मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा–

(i) मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करता है तो उसके आवरण पृष्ठों पर

ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा '**अबस**' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा '**कखग**' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता हैं।

(ii) प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

(iii) अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न–पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

(iv) अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) ''क्रास'' करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर–पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चेक किया जायेगा।

(v) प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर–पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर–पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।

(vi) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

(1) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(2) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

(3) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(4) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिहन/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(5) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।

(6) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।

(7) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।

(8) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(9) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।

(10) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या '**अबस**' एवं पते के स्थान पर ABC या '**कखग**' के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(11) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(4) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य लिखित परीक्षा/शार्टहैण्ड/टंकण परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आवंटित किया गया हैं।

(5) स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

(6) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **"अनापत्ति प्रमाण–पत्र"** अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(7) अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अभ्यर्थी को पासपोर्ट आकार के दो स्व–प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(8) उत्तर कुंजी आपत्ति :– वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन ई–मेल से प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी से आपत्ति के सापेक्ष प्रतिप्रश्न रू0 50.00 (रू0 पचास मात्र) शुल्क के रूप में लिये जायेगें। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा। भुगतान के पश्चात शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापिस नही किया जायेगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(9) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।

(18) न्यूनतम अर्हक अंक :– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) तथा संगत सेवा नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन/मुख्य परीक्षा हेतु नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(19) मुख्य लिखित परीक्षा एवं शार्टहैण्ड परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/उप–श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

20. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/ मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules–2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण नियमावली–2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(3) अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर भी प्रसारित की जायेगी।

(4) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए

प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(5) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह स्क्रीनिंग स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(6) मूल ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र, परीक्षा में उपस्थिति पत्रक आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(8) अभ्यर्थियों की हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नही होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर उपलब्ध न कराये जाने की दशा में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(9) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(10) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(11) स्क्रीनिंग/स्क्रीनिंग अथवा मुख्य परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(12) अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर लिखने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जाएगा।

(13) **परम्परागत प्रकार** की परीक्षा में नान–प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग, प्रश्न पत्र के निर्देशों के अधीन, अनुमन्य है। यह भी ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/ब्लूटूथ डिवाइस/संचार की क्षमता युक्त उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(15) परीक्षा भवन में आचरण :– परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(16) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(17) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 एवं प्रथम संशोधन–2016** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(18) **<u>कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही :–</u>** अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी <u>अनुप्रमाणित/प्रमाणित</u> प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी <u>अनुप्रमाणित/प्रमाणित</u> प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(19) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(20) **<u>अँगूठे का निशान (Thumb Impression):–</u>** सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर–पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(21) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा–

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र।

(ख) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिये।

शासनादेश सं0–23/XXX(2)/2019–30(1)/2019 दिनांक 29.04.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ग) क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(22) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(23) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(24) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(25) परीक्षा कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

S/D

(राजेन्द्र कुमार)

सचिव।

परिशिष्ट–1

वैयक्तिक सहायक (अधिष्ठान, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय) (स्क्रीनिंग परीक्षा) हेतु पाठ्यक्रम

सामान्य हिन्दी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण
(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय : 02 घण्टें **कुल प्रश्नों की संख्या : 150**
पूर्णांक : 150

भाग– 1
सामान्य हिन्दी

कुल प्रश्नों की संख्या : 45 **पूर्णांक : 45**

1. वर्ण संरचना (स्वर और व्यंजन)
2. वर्तनी शोधन / विश्लेषण
3. शब्द रचना – उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, वचन एवं लिंग
4. व्याकरणिक कोटियां – संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया–विशेषण एवं अव्यय
5. शब्द भेद – तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी, संकर, रूढ़–यौगिक एवं योगरूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, शब्द–विलोम, समूहवाची, समरूप किन्तु भिन्नार्थक, शब्द–युग्म, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द।
6. रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग
7. वाक्य रचना के प्रकार एवं भेद
8. वाच्य परिवर्तन – कर्तृवाच्य / कर्मवाच्य / भाववाच्य
9. शब्द शुद्धिकरण
10. लोकोक्ति एवं मुहावरें

भाग– 2
सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्नों की संख्या : 75 **पूर्णांक : 75**

1. सामान्य विज्ञान एवं दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता।
2. भारत का इतिहास एवं संस्कृति इत्यादि।
3. भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं समकालीन भारतीय इतिहास।
4. भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान, मानव अधिकार से संबंधित मुद्दें, मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य इत्यादि, इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।
5. भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य इत्यादि, इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।
6. भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दें, जैव एवं पर्यावरण संरक्षण कानून इत्यादि, इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।
7. भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक आपदायें एवं आपदा प्रबंधन इत्यादि, इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।
8. अधुनातन अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, खेलकूद, मनोरंजन इत्यादि।
9. अधुनातन राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, खेलकूद, मनोरंजन इत्यादि।

10. उत्तराखण्ड राज्य की शिक्षा, संस्कृति एवं रहन–सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, समाज सुधार आंदोलन, राजनैतिक पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी एवं गैर–सरकारी कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनायें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन एवं समकालीन इतिहास।

11. उत्तराखण्ड राज्य में कृषि, उद्योग, व्यापार– वाणिज्य, पर्यटन, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं भूगोल इत्यादि।

भाग–3
सामान्य बुद्धि परीक्षण

कुल प्रश्नों की संख्या : 30
अंक : 30

शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसमें सादृश्यों, निगमनिक तर्क, समानताओं तथा अंतरों, अविद्यमान अंक, वर्ण एवं अनुक्रम, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध– कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण एवं अंकगणितीय संख्या सारणी आदि से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की सामान्य विचार, तथ्य और अंकों, संकेतों और उनमे संबंध, अंकगणितीय एवं संख्यात्मक गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक, गणितीय एवं परिमाणात्मक कार्यों से संबंधित योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

नोट – प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।

Syllabus for the Post of Personal Assistant In The Establishment of High Court of Uttarakhand Nainital (Screening Exam)
General Hindi, General Studies and General Intelligence Test
(Objective Type)

Time allowed : 02 Hours **No. of Questions - 150**
Max.Mark : 150

Part -1
सामान्य हिन्दी

कुल प्रश्नों की संख्या : 45
पूर्णांक : 45

1. वर्ण संरचना (स्वर और व्यंजन)
2. वर्तनी शोधन / विश्लेषण
3. शब्द रचना – उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, वचन एवं लिंग
4. व्याकरणिक कोटियां – संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया–विशेषण एवं अव्यय
5. शब्द भेद – तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी, संकर, रूढ़–यौगिक एवं योगरूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, शब्द–विलोम, समूहवाची, समरूप किन्तु भिन्नार्थक,

शब्द–युग्म, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द।

6. रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग
7. वाक्य रचना के प्रकार एवं भेद
8. वाच्य परिवर्तन – कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य/भाववाच्य
9. शब्द शुद्धिकरण
10. लोकोक्ति एवं मुहावरें

Part -2
General Studies

No. of Questions - 75
Max.Mark : 75

1. General Science and Application of Science in day -to-day life.
2. Indian History and Culture etc.
3. Indian National Freedom Movement and Contemporary Indian History.
4. Basic knowledge of the Indian Constitution, Human Rights Related Issues, Fundamental Rights and Duties etc., Current activities in these areas.
5. Indian economy, agriculture, trade and commerce etc., current activities in these areas.
6. Population in the Indian context, Environment and Urbanization, environmental pollution, health related issues, Bio and Environment Protection Act, etc., current activities in these areas.
7. Geography of India and the World, Natural disasters and disaster management etc., current activities in these areas.
8. Current events of National and International importance, Sports, Entertainment etc.
9. Current events of Uttarakhand State importance, Sports, Entertainment etc.
10. Education, Culture and Life style, Specific Information regarding Social practices, Social reform movement, Political background and Administrative setup, Governmental and Non-Governmental welfare and developmental schemes, Historical background, Uttarakhand Rajya Nirman Andolan and Contemporary History of the Uttarakhand State.
11. Agriculture, Industry, Commerce and Trade, Tourism, Economic and Natural Resources, Population distribution, Sex ratio, Literacy, Health, Forest and Wild Life, Environment and Geography in Uttarakhand State.

Part -3
General Intelligence Test

No. of Questions - 30
Max.Mark : 30

Questions of verbal, non-verbal and analytical types consisting of analogies, syllogism, similarities, differences, missing numbers, characters

and sequences, space visualization, problem solving, analysis, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, direction sense, coding –decoding, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, data representation and analysis, arithmetical number series. The test would also include questions designed to test the candidates' ability to deal with abstract ideas, facts and figures, symbols and their relationships, arithmetical and numerical computations and other analytical, mathematical and quantitative functions.

Note- Each Multiple choice question shall be of 01 Mark

मुख्य (लिखित) परीक्षा का पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना

Personal Assistant

Paper-I- Time:90 minutes MM:80

(A). General Knowledge (Indian History, Knowledge of Uttarakhand, General Science, constitution of India, Current Affairs) 40 Questions (Multiple-choice) of 40 marks.

(B). English Language

(i). Word, Phrases, Synonyms, Antonyms (10 Questions of 10 marks)

(ii). Grammar (10 Questions of 10 marks)

(iii). Translation from English to Hindi (10 Marks)

(iv). Précis writing in English (10 Marks)

Paper II- Practical

(v). **Typing Test- (Qualifying)-** The candidate must possess minimum speed of 40 words per minute (corresponding to 12000 key-depressions per hour) in English Typing.

Candidates, who will not be able to type 12000 key depressions per hour, shall be disqualified.

(vi). **Shorthand Test- Time:** Candidates qualifying the typing test will have to appear for Shorthand Test at the speed of 100 words per minute in English. Max Marks 120. Duration of dictation 07 minutes Transcription Time:45 Minutes (this time excludes 10 Minutes for reading of notes)

Mode of Evaluation of Shorthand Test shall be as under:

Evaluation Scheme of Shorthand Test for the post of Personal Assistant

(1) Full Mistakes:

i. Omission/ addition of any word/figure.

ii. Substitution of any word/figure in place of dictated word/figure.

Above mistakes are counted as full mistakes and marked by red ink.

(2) Half Mistakes:

i. Spelling Mistake (spell check facility being available on computers)

ii. Non use/ wrong use of Full Stop/ Question Mark.

iii. Use of singular instead of plural and vice-versa.

iv. Wrong use of capital letter at the beginning of a sentence.

v. Other grammatical mistakes.

Above mistakes are counted as half mistakes and marked by blue ink.

Actual Mistakes= Full Mistakes+1/2 of Half Mistakes

(3) Formula for awarding marks

(a) Total words dictated @ 100 w.p.m.=700 words

(b) Maximum Marks=120

(c) Total mistakes admissible/relaxed =Maximum 7% of total dictated words. {7% of 700 words=49 mistakes}. For being qualified, the candidate must come within the relaxation limit of 7% mistakes and no marks will be awarded to the candidate, who commits more than 49 Actual Mistakes.

(d) For one Actual mistakes, 1 mark will be deducted.

(e) Marks obtained by the qualified candidate=Maximum Marks-Actual Mistakes committed.

Examples (i) a candidate committing 10 actual Mistakes will get 110 marks {i.e.120 (maximum marks)-10 (actual mistakes committed)}, (ii) a candidate committing 0 actual mistakes will get 120 marks (i.e.120-0 actual mistakes) & (iii) a candidate committing 30 actual mistakes will get 90 marks (i.e. 120-30 actual mistakes).

Note: In case of incomplete transcription (more than 49 words left), the candidate will be treated as not qualified. Candidate, who commits more than 49 Actual Mistakes, will be treated as 'not qualified'. In case of use of longhand in place of shorthand, the candidate will be disqualified.

Note 1: Screening Test will be conducted first and candidates who will qualify screening test, for them Typing Test will be conducted and the candidates, who will qualify in the Typing test, will only be allowed to appear in the Shorthand test. Candidates qualified in the Shorthand test will be allowed to appear in the written examination. Final merit list shall be prepared on the basis of marks obtained in written examination (80 Marks) and Shorthand test (120 Marks). Total marks-200.

For General category candidates, cut-off for written examination shall be 40% and for reserved category candidate, cut-off shall be 35%, In case, two or more candidates secure equal marks, such candidates will be called for Hindi shorthand and

type-writing and the candidate who will score better in Hindi shorthand will be given preference.

<u>विशेष नोट–</u>01. प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की अंग्रेजी टाइपिंग में 12000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति का परीक्षण किया जायेगा, जिसमें सफल होने पर ही अगले चरण की परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2002 यथा संशोधित–2016 के नियम 4.2.2.(4) में वर्णित नियमानुसार कम्प्यूटर टंकण परीक्षा 10 मिनट की होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को 12000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा के दृष्टिगत, 2000 की–डिप्रेशन 10 मिनट में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त न्यूनतम की–डिप्रेशन की गति प्राप्त करने पर 5% की–डिप्रेशन की छूट भी अनुमन्य है तथा उक्त छूट से अधिक त्रुटियां करने पर प्रत्येक गलत की–डिप्रेशन के लिए 5 सही (शुद्ध) की–डिप्रेशन की कटौती दण्डस्वरूप की जायेगी।

02. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार सम्पूर्ण प्रवीणता सूची तैयार किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित परीक्षा हेतु सम्मिलित पदों के सापेक्ष श्रेणी/उप–श्रेणीवार प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। सामान्य श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी के पदों हेतु परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम् अर्हकारी 45 प्रतिशत अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सम्बन्धित श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सम्बन्धित उपश्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु अर्हकारी अंक 35 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त निर्धारित प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अनर्ह माने जायेंगे।

परिशिष्ट–2

जिन नगरों में स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जायेगी, उनके नाम व कोड इस प्रकार है :–

क्रम सं0	नगर (जिला)	नगर कोड
1	देहरादून (देहरादून)	01
2	हल्द्वानी (नैनीताल)	02
3	हरिद्वार (हरिद्वार)	03

नोटः– 1. यदि किसी परीक्षा केन्द्र हेतु अभ्यथियों की संख्या कम होगी तो उन अभ्यर्थियों को नजदीक के परीक्षा केन्द्र आंवटित किये जाऐंगे।

2. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र हेतु जो विकल्प दिया गया है, उसकी उपलब्धता न होने पर आयोग द्वारा उपलब्धता के अनुसार परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने के संबंध में अभ्यर्थियों का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।